

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खोरीमहुआ (गिरिडीह)।

भू-हदबंदी वाद संख्या-01/2022-23

U/S भू-हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3)(i)

राजेश यादव उर्फ राजेश महतो बनाम अशोक यादव वगैरह

आदेश की
तिथि

आदेश

आदेश पर की
गई कार्रवाई

20-09-2025

प्रथम पक्ष :- राजेश यादव उर्फ राजेश महतो, पिता-झरी महतो, साकिन-पंडरिया, पोस्ट-माल्डा, थाना-गावाँ, जिला-गिरिडीह।

द्वितीय पक्ष :-1. अशोक यादव, पिता-झरी महतो, साकिन- पंडरिया, पोस्ट-माल्डा, थाना-गावाँ, जिला-गिरिडीह।

2. बाबुलाल प्रसाद यादव, पिता-स्व० बालकिशुन प्रसाद यादव, सा०-पंडरिया, पोस्ट-माल्डा, थाना-गावाँ, जिला-गिरिडीह।

यह वाद प्रथम पक्ष के द्वारा भू-हदबंदी की धारा 16(3)(i) के अन्तर्गत लाया गया है -

कहा गया कि द्वितीय पक्ष सं०-01 अशोक यादव ने निम्नलिखित भूमि जो कि कृषि योग्य भूमि है तथा जिसके वह अंशदार है को द्वितीय पक्ष सं०-02 बाबुलाल प्रसाद यादव को बिक्री कर दिए हैं।

अंचल	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गावाँ	पंडरिया	02	53	14 डी० के मध्ये 1.5 डी०
			54	2.75 डी०
			57	01 डी०
कुल रकबा				5.25 डी०

अपने कथन की पृष्टि हेतु प्रथम पक्ष के द्वारा विक्रय विलेख की सत्यापित प्रति प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सं०-01 के मध्य सहोदर की पृष्टि हेतु वंशावली, कृषि योग्य भूमि होने के साक्ष्य स्वरूप स्थल का फोटोग्राफ एवं W/S (लिखित जवाब) दाखिल किया गया।

W/S के माध्यम से प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि को कृषि योग्य होना बताया साथ ही भूमि का अब तक बंटवारा नहीं होना बताया गया। खतियान में भी वादगत भूमि को धानखेत के रूप में अंकित होना बताया गया है। तथा शेष दो प्लॉट को टाँड़ दो व टाँड़ तीन अंकित होना बताया गया है। वादी स्वयं को सह-अंशदार तथा Adjacent Raiyat बताया है।

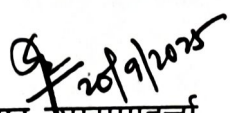
दुसरी और विपक्षी के द्वारा प्रथमतः अपने W/S में वादी के दावों को नकारा है बाद में विपक्षी संख्या-02 की ओर से संशोधित W/S दाखिल कर कहा गया कि प्रथम पक्ष की बातें पूर्णतः सत्य बताया तथा मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं आपस में सुलह कर लिये हैं एवं जमा की गई जरसमन की राशि प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष के Pre-Emption Right को स्वीकार करते हैं।

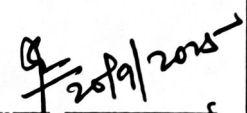
उभय पक्ष अपने-अपने विद्वान अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। उनके पुछताछ करने पर आपसी सुलह करने की बात स्वीकार किये तथा द्वितीय पक्ष सं०-02 जरसमन की राशि वापस प्राप्त करने की बात स्वीकार किये।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय द्वितीय पक्ष सं०-02 को प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के पक्ष में बिक्री केवाला के माध्यम से एक पखवारा के भीतर हस्तांतरित करने का आदेश देती है जैसा कि न्यायालय के समक्ष आपसी सुलह में उभय पक्ष ने स्वीकार किया।

इस प्रकार वाद की आगे की कार्रवाई समाप्त की जाती है तथा वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


भुमि सुधार उपसमाहर्ता,
खोरीमहुआ।


भुमि सुधार उपसमाहर्ता,
खोरीमहुआ।